

# न्यायालय भूमि सुधार उप समहार्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद सं०-...२३३/2017-18

सुरेन्द्र कुमार जयसवाल वगैरह.....अर्जीकार

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू.....प्रतिवादी

23.03.2021

अग्रिलेख अध्यापित | अपीलकर्ता अनुपस्थित | वाद में  
अपीलकर्ता लगातार अनुपस्थित हैं। इससे स्पष्ट होता है  
कि अपीलकर्ता को इस अपीलवाद में कोई अग्रिभूति नहीं  
है यदि यानि जमीन के दाखिल खारिज में कोई ...

दिलचस्पी नहीं है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अपीलकर्ता  
द्वारा वाद में किसी प्रकार का अग्रिभूति नहीं लेने के  
कारण वाद को समाप्त किया जाता है।

तराख साहत

४:२३/०३  
भूमि सुधार उपसमाहता  
बुण्डू (राँची)